भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 967
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

गलत अभियोजन

967. डॉ मोहम्मद जावेद :
डॉ. ए. चेल्लाकुमार :
श्री के. नवासखनी :
श्री के. सुधाकरन :
श्री कार्ती पी. चिदम्बरम :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मंत्रालय गलत तरीके से अभियोजित व्यक्तियों की संख्या का रिकॉर्ड रखता है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ;
(ख) क्या सरकार गलत अभियोजन और क्षतिपूर्ति पर एक अलग कानून बनाने की योजना बना रही है या विधि आयोग द्वारा अनुशंसित दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गलत तरीके से मुकदमा चलाने के लिए क्षतिपूर्ति के प्रावधान को शामिल करने की है ;
(ग) यदि हां, तो इसे शुरू करने की कार्यप्रणाली क्या है और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं ; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है ।

(ख) से (घ) : भारतीय विधि आयोग ने अगस्त, 2018 में अपनी 277वीं रिपोर्ट (सदोष अभियोजन) (न्याय की हत्या) ; विधिक उपचार) दी और यह सितंबर, 2018 में इस मंत्रालय ने स्वीकृत की थी । चूंकि दांडिक विधियां और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, यह रिपोर्ट उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी। गृह मामलों पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी तारीख 23.06.2010 की 146वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि देश के दांडिक न्याय तंत्र में व्यापक पुनर्विलोकन की आवश्यकता है । इससे पहले संसदीय स्थायी समिति की 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में संबंधित अधिनियमों में थोड़ा-थोड़ा संशोधन करने की बजाय संसद् में व्यापक विधान की पुर:स्थापना द्वारा देश की दांडिक विधि में सुधार और सुव्यवस्थिकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था ।

****